

- 16 परियोजना या स्कीम की अवस्थिति **चौखुटिया में भावती से टम्टा मो. जंग 9.153 है.**
- (i) राज्य / संघराज्य क्षेत्र **उत्तराखण्ड**
- (ii) जिला **मलेख**
- (iii) जिला वन प्रभाग **मलेख वन प्रभाग मलेख**
- (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र **9.153 है**
- 17 पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति **रिजर्वेशन वन**
- 18 अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा - **चीड़, सुलीस, काफल, जायन, नीरस-कादि**
- (i) वन का प्रकार **रिजर्वेशन फॉरेस्ट**
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व **4**
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना **सलगन है**
- (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुरखा **कोई नहीं**
- 19 भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थायकता और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण **अक्षरण की संभावना नहीं**
- 20 वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी **1.60 कि.मी.**
- 21 वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता **निरीक्षण नहीं**
- (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा **महत्वपूर्ण वन्य जीव नहीं**
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अलगाव गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाय किए जाने में मुख्य वन्य जीव घाईन की और टीका टिप्पणियों उपाय की जाए) **नहीं**
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव घाईन की टीका-टिप्पणियों उपाय की जाए) **नहीं**
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव अलगाव आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव घाईन की टीका-टिप्पणियों उपाय की जाए) **नहीं**
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि है तो उसके ब्यौरे **नहीं**
- 22 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्व या विरासत स्थल या प्रतिस्मात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण स्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाय किए जाने के लिए सजग प्राधिकारी से अनुरोध प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) के साथ उसका ब्यौरा दे) **नहीं**
- 23 पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युवितयुवतता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दे **कोई नहीं**
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्यता अनिवार्य द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। **अपरिहार्य एवं न्यूनतम वन भूमि है**
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। **हाँ**
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे
- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)
- (ii) यदि हा. की गई कार्य अपवि, अतिक्रमण में अनुरोधित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और घटना संहिता अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही **नहीं**
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)
- 25 क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- (i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति **रिजर्वेशन वन रोपण वन भूमि**
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा सख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दे। **रिजर्वेशन वन रोपण वन भूमि**
- (iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए वन वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामान्य वन सीमाएं सलगन है। **हाँ**

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत, संरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्योरे सलग्न हैं

(हा/प्रस्ताव)

(v) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय

सलग्न है

(vi) क्या क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोण से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संश्लेषण संरक्षक से प्रमाण-पत्र सलग्न है (हा/प्रस्ताव)

26 वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाघात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्टें सलग्न हैं (हा/प्रस्ताव)

27 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

प्रस्ताव स्वीकृति संरक्षक की जकी है।

स्थान:

अल्मोड़ा

तारीख:

25-05-2015

हरनाथ नंद हासकीय युवा
प्रभागीय वनाधिकारी,

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा